

फर्द अहकाम



(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	वनाम	विप्रार्थीगण
नगराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट, निवासी डलानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (04)		कानाराम पुत्र खीमाराम जाति जाट, निवासी नागड़दा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (08)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 251 ए)

मुकदमा नम्बर 313/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2023	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री अमयसिंह राठौड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रिस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 18.12.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी शिव </p>	
18.12.23	<p>कार अधिवक्ता संदी, बाड़मेर के रेकॉर्ड पर होने से इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 31.01.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी शिव </p>	
31/1/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी की जमानत/विल/अनुपस्थित। पत्रावली में आज तक कोई भी कार्य नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 3/2/24 को पेश हो।</p>	
9.2.24	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठानी अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 13.2.24 को पेश हो।</p>	

~~श्रीमान पीठानी अधिकारी के मुख्यालय से जाकर होने से इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 13.2.24 को पेश हो।~~



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

01.11.25

पत्रावली पेश/प्राधी/नूमीट 3प
पत्रावली विप्राधी संख्या 2 तें 6, 8, 9, 12 त
16, 18 तें 20, 23, 25 व 26 के जबर
तप्प TDR शिव तें मोग रिपोर्ट वा
इंज्जर चोगर दिनांक 11.12.25 मे पेश ये

11.12.25

~~पत्रावली पेश हुं~~

उपरखण्ड अधिकारी
शिव

प्राधी/विप्राधी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित,
पत्रावली में आज काइ प्रभावा कार्यवाही नहीं होने क
कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसा
30.01.26 को पेश हो।

30.01.26

पत्रावली पेशा वाकुला अनुपस्थित।

पत्रावली में जगादी पैरवी हेतु पत्रावली न
अधिवक्ता को न्यायालय सभ में सब-सककर
आवाजे दी जाने के बावजूद कोई उपस्थित
नहीं। अतः पत्रावली में जगादी पैरवी नहीं
होने तथा अनुपस्थित रहने पर इम्त
पत्रावली इसी स्टेज पर अडम हाजी व
अडम पैरवी में खालिज की जाती है।
पत्रावली नम्बर ले कम होकर
डाखिल इम्त हो।

उपरखण्ड अधिकारी
शिव